



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III —Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2015/माघ 20, 1936

No. 44]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2015/MAGHA 20, 1936

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2015

फा. सं. पी. 15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य उपभोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्ररूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे ।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

**प्रारूप विनियम**

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2015 है ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में,-

(क) "कृत्रिम मधुरक" से संबंधित विनियम 3.1.3 में उप विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) गैर-पौष्टिक मधुरक का उपयोग,- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित गैर-पौष्टिक मधुरक का उपयोग केवल स्तंभ (3) में वर्णित चीजों में और स्तंभ (4) में वर्णित सीमाओं से अनधिक मात्राओं में तथा इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ही किया जा सकेगा :

## सारणी

क्रम सं.	गैर-पौष्टिक मधुरक का उपयोग	खाद्य चीजें	अधिकतम स्तर (मिलीग्राम/किलोग्राम) (स्टीवियोल समतुल्य)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्टीवियोल ग्लीकोसाइड	सुवास्य डेयरी आधारित पेय	200
		डेयरी आधारित डेजर्ट्स (आइसक्रीम प्रशीतित डेजर्ट, क्रीम टोपिंग्स)	330
		योगार्ट	200
		फल नेक्टर	200
		अकार्बनीकृत जल आधारित सुपेय (गैर-अल्कोहलिक)	200
		आइसलोलीज या खाद्य बर्फ	270
		जैम, जैली, मामालिड्स	360
		खाने के लिए तैयार अनाज	350
		कार्बनिकृत जल	200
		साफ्ट ड्रिक्स सांद्र	200 (पुनर्गठन के पश्चात् अंतिम उत्पाद में)
		ज्युइंगम	3500

परंतु यह और कि स्टीवियोल ग्लीकोसाइड का विपणन टेबलेट के रूप में टेबल टॉप मधुरक के रूप में किया जा सकेगा जिसमें विनियम 3.1.3 के उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण II के दूसरे परंतुक में वर्णित कैरियर या फिल्लर के साथ प्रति सौ मिलीग्राम में स्टीवियोल समतुल्य 7 मिलीग्राम अंतर्विष्ट हो सकेगा"।

(ख) "खाद्य अभियोज्यों के मानक" से संबंधित विनियम 3.2 में उप-विनियम 3.2.1 के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3.2.2 मधुरक:- अभिलक्षणों के साथ विभिन्न मधुरकों के लिए मानक इस प्रकार हैं -

(1) स्टीवियोल ग्लीकोसाइड -सफेद से हल्का पीला पाउडर, गंधहीन या हल्की चारित्रिक गंध। सुक्रोज से 200-300 गुणा मधुर। इस उत्पाद को स्टेविया रेबाउडियाना बटोनी के पत्तों से अभिप्राप्त किया जाता है। पत्तों को गर्म जल से निष्कर्षित किया जाता है और जलीय निष्कर्षण को स्टीवियोल ग्लीकोसाइड संघटक के सांद्रण को प्राप्त करने के लिए एक एडसोर्शन से गुजारा जाता है। रेजिन को ग्लीकोसाइड को मुक्त करने के लिए एक घोलक एल्कोहल से धोया जाता है और उत्पाद को मेथिनोल या एकउअस इथनोल से पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है आयोन एक्सचेंज रेजिन का उपयोग शुद्धकरण प्रक्रिया में किया जा सकता है। अंतिम उत्पाद को स्प्रे शुष्कित किया जा सकेगा। स्टीवियोसाइड और रिबाउडियोसाइड A संघटक ग्लीकोसाइड उनके मधुरक गुणधर्म के कारण मुख्य हित की वस्तु हैं। सहबद्ध ग्लीकोसाइड में रिबाउडियोसाइड बी, रिबाउडियोसाइड C, रिबाउडियोसाइड D, रिबाउडियोसाइड एफ, डल्कोसाइड A, र्बोसोसाइड और स्टीवियोल वायोसाइड जो साधारणतया स्टीवियोल ग्लुकोसाइड की निर्मितियों में स्टीवियोसाइड या रिबाउडियोसाइड A से कम स्तर पर विद्यमान होते हैं।

समानार्थी	आईएनएस सं. 960
रासायनिक नाम	स्टीवियोसाइड: 13-[(2-O-β-D ग्लुकोपायरेनोसाइल-β ग्लुकोपायरेनोसाइल) आक्सी] कोर -16 ईएन 18 ओआईसी अम्ल β- D- ग्लुकोपायरेनोसाइल ईस्टर रिबोडियोसाइड A: 13- [2(O- β -D ग्लुकोपायरेनोसाइड-3-ओ- β- D ग्लुकोपायरेनोसाइल- β- D ग्लुकोपायरेनोसाइल) आक्सी ] कोर-16-ईएन-18-ओआईसी अम्ल- β- D ग्लुकोपायरेनोसाइल ईस्टर
मूल्य परक सूत्र	स्टीवियोसाइड C-38 H60 O18; रिबाउडियोसाइड A: C-44 H70 O23;
सूत्र भार	स्टीवियोसाइड 804.88 रिबाउडियोसाइड A:967.03

